उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 250वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 250वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1– **श्री दीपक कुमार**

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन — अध्यक्ष

2– **श्री अश्वनी त्रिपाठी**

मा0 उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद — सदस्य

3– **श्री राम लखन पटेल**

मा0 उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद — सदस्य

4– **श्री अजय चौहान**

आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद — सदस्य

5– **श्रीमती दीपा रंजन**

अपर आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद — सचिव

6– **श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव**

मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 — सदस्य

7– **श्री धर्मेन्द वर्मा**

वित्त नियंत्रक, आवास एवं विकास परिषद — सदस्य

8– **श्री ए0 के0 शुक्ला**

मुख्य अभियंता, आवास एवं विकास परिषद — सदस्य

9– **श्री इन्दुशेखर सिंह**

मुख्य अभियंता, प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, एल0डी0ए0 — सदस्य

10–**श्री दिनेश कुमार**

मुख्य वास्तुविद नियोजक, आ0वि0 परिषद — सदस्य

11–**श्री जावेद असलम**

मु.वि.लेखा.,प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव सचिव सार्व.उ0वि0 — सदस्य

12–**श्री कल्यान बनर्जी**

उपसचिव प्रतिनिधि, नगर विकास, उ0प्र0 शासन — सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
250/1	परिषद की 249वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 249वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
250/2	परिषद की 249वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2020 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 249वीं बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2020 की अनुपालन आख्या का मदवार अवलोकन किया गया । (1) मद सं0 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/8, 249/11, 249/12, 249/15, 249/16, 249/18, 249/20, 249/22, 249/23, 249/24, 249/26, 249/27, 249/28, 249/29, 249/30, 249/31, 249/32, 249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 249/38, 249/39, 249/40, 249/41, 249/42, 249/43, 249/44, 249/45, 249/46, 249/47, 249/48, 249/49, 249/50, 249/51, 249/53, 249/55, 249/56, 249/58, 249/59, 249/61, 249/64, 249/65 की अनुपालन आख्या से सहमति प्रकट की गयी। (2) मद सं0 249/7, 249/33, 249/40 तथा मद 249/57 के सम्बन्ध में पुनः प्रस्ताव 250वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। (3) मद सं0 249/9, 249/10, 249/13, 249/14, 249/17, 249/19, 249/21, 249/25, 249/54, 249/60, 249/62, 249/63, 249/66 के सम्बन्ध में आगामी बैठक रखने के निर्देश प्राप्त हुए थे लेकिन माह मार्च 2020 से माह

		जून 2020 तक कोबिड–19 के कारण इन मामलों में प्रतिक्रियाऐं पूर्ण नहीं हुई। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिये गये कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो सम्बन्धित के विरुद्व कार्यवाही करे तथा आगामी बोर्ड बैठक में उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करें, यदि प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होता है तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये। (4) बिन्दु सं0 249 / 52 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इसी बैठक के बिन्दु सं0–12 के प्रकरण में असुधार शुल्क लेकर समायोजित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। अतः बिन्दु 249 / 52 में भी आवास आयुक्त के द्वारा वर्तमान दर का असुधार शुल्क लेते हुए समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

अनुशासनिक अनुभाग

250 / 3	श्री शिव नाथ राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।	श्री शिव नाथ राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण में विवेचक श्री सूर्य नारायण सिंह, निरीक्षक उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान, लखनऊ प्रकरण से सम्बन्धित केस डायरी के साथ उपस्थित हुए, विवेचक को सुना गया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परिशीलन किया गया। परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर–24 में भूखण्ड सं0–24 / 1 दूरसंचार विभाग को आवंटित था उक्त भूमि कुकरैल नाले के सन्निकट थी। कालान्तर में कुकरैल नाले के किनारे बन्धा निर्मित हो जाने के कारण भूमि के आकार में

		परिवर्तन की सम्भावना के दृष्टिगत सर्वे/प्लेन टेबिल सर्वे की कार्यवाही कराया जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उक्त सर्वे मात्र कराने से दूरसंचार को आवंटित भूखण्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भूखण्ड के आवंटन में प्लेन टेबिल की कार्यवाही से कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही सम्पत्ति विभाग द्वारा की जाती है सम्पत्ति विभाग के उत्तरदायी कार्मिकों के सम्बन्ध में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित केस डायरी एवं अन्य संगत अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री शिव नाथ राम तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का कोई आधार नहीं है।

वित्त एवं लेखानुभाग

250/4	वित्तीय वर्ष–2019–20 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष–2020–21 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
250/5	भारत सरकार द्वारा आयकर के संबंध में लागू विवाद से विश्वास योजना–2020 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अभियन्त्रण अनुभाग

250/6	गाजियाबाद मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित डी0पी0आर0 में निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा वहन किये जाने वाली धनराशि /अंशदान के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

250/7	आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ के सेक्टर एच–6 में निर्माणाधीन आम्रपाली इन्क्लेव परियोजना के स्टिल्ट स्तर पर रोके गये 5 ब्लाक (600 नग भवनों) के निर्माण कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आम्रपाली इन्क्लेव परियोजना के स्टिल्ट स्तर पर रोके गये 5 ब्लाक (600 नग भवनों) के निर्माण से सम्बन्धित स्ट्रक्चर का कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया। फिनिसिंग का कार्य अभी अग्रिम आदेशों तक नहीं कराया जायेगा।

अनुशासनिक अनुभाग

250/8	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री वेद प्रकाश धींगरा, तत्कालीन लेखाकार, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, मुरादाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त लेखाकार के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
250/9	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

प्रशासन अनुभाग

250/10	चयन वर्ष 2019–20 में रिक्त अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 05 पदों के सापेक्ष प्रोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 18.02.2020 को हुई चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
250/11	मानचित्रक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयु में संशोधन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

सम्पत्ति अनुभाग

250 / 12	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में मा0 निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त विभागीय कार्यो हेतु अनुबन्धित एजेन्सी मै0 अर्नेस्ट एण्ड यंग एलएलपी के पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
250 / 13	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या–9 / सी0पी0–201 के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित आवंटी द्वारा दिनांक 08.06.2015 तक भूखण्ड की मूल धनराशि के सापेक्ष पूर्ण भुगतान रू0 119000000 /– जमा करा दिया है। वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत ब्याज गणना के अनुसार उक्त धनराशि पर अब तक रू0 67137562 /– ब्याज के रूप में भी परिषद को प्राप्त हो चुके है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड के सापेक्ष रू0 186137652 /– परिषद को प्राप्त हो चुका है। प्रश्नगत भूखण्ड में 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त लाभार्थी को कब्जा दिया जाना था जोकि कोर्ट स्टे के कारण नहीं दिया जा सका तथा वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर स्टे है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया– (क) ऐसे समस्त अधिकारी / कार्मिकों को चिन्हित किया जाये जिनके कारण प्रश्नगत भूखण्ड पर स्टे होने के बाद भी आवंटन में प्रस्तुत हुआ। (ख) प्रश्नगत प्रकरण में आवंटी द्वारा जमा की गयी मय ब्याज धनराशि को पूर्ण मानते हुए इस भूखण्ड के सापेक्ष उसकी देयता को शून्य किया जाता है लेकिन उसे यह शपथ–पत्र देना होगा कि वह भविष्य में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से देनदारी का कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा तथा कोर्ट से स्टे वैकेट कराने में परिषद की मदद् करेगा तथा कोर्ट से स्टे वैकेट कराने के बाद ही परिषद कब्जा दे सकेगा।

भूमि अर्जन अनुभाग

250/14	वृन्दावन योजना संख्या–1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–खरिका की भूमि खसरा संख्या–413 में से श्रीमती आइसा बेगम द्वारा क्रय की गयी 1000.00 वर्गफुट भूमि पर बने वर्ष–2002 से पूर्व का निर्माण जो 89.664 एकड़ अतिक्रमण से प्रभावित समायोजित की गयी भूमि में सम्मिलित है, को अन्यत्र समायोजन/आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
250/15	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–8 मवीकलां(शाकुम्भरी विहार योजना), सहारनपुर में समाविष्ट खसरा संख्या–277/1, 277/2, 278/1 व 278/2 कुल 2.932 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस आशय से अनुमोदित किया गया कि दोनो विकल्प में से एक पर सहमति प्राप्त की जाय।
250/16	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (अवध विहार योजना), लखनऊ में सेवारत/सेवा निवृत्त सैनिकों एवं अन्य के अवैध निर्माणों को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में टिप्पणी/आख्या/प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

समन्वय अनुभाग

250/17	स्टाफ भवन को अध्यासित कार्मिकों को आवंटित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जो आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

सम्पत्ति अनुभाग

250/18	अपूर्ण ग्रुप हाऊसिंग प्रोजेक्ट को पूर्ण करने एवं आवंटियों को राहत पहुंचाने हेतु मा0 निदेशक मंडल की 249 वीं बैठक में अंगीकृत औद्योगिक विकास	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 05.12.2019 के द्वारा आवेदन करने की अवधि दिनांक 25.03.2020 से 06 माह करते हुए

	आयुक्त द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 3804(1)/77–4–19 दिनांक 05.12. 2019 के सम्बंध में।	दिनांक 30.09.2020 तक अनुमोदित की गई।
250/19	उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद की योजनाओं में भवनों/भूखण्डों से लगी अतिरिक्त भूमि के निस्तारण के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सम्पत्ति विनियमों में प्राविधानित व्यवस्था का अध्ययन/परीक्षण करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

वित्त एवं लेखा अनुभाग

250/20	परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को सप्तम वेतनमान में सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण करके उसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
250/21	परिषद की 249वीं बैठक दिनांक 10.02.2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय पेंशनरी बेनीफिट्स सम्बन्धी शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	**1.** सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–38/2016–सा–3–921/दस–2016–308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेशसंख्या–3/2020/23 /44–1–2020–34/2011 दिनांक 08.01. 2020 के अनुरुप परिषद में ग्रेच्युटी का भुगतान दिनांक 29.03.2018 से इस प्रतिबन्ध के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया कि परिषद की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इसका वास्तविक भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–2022 से किया जायेगा। दिनांक 29.03.2018 से दिनांक 31.03. 2021 तक अवकाश प्राप्त करने वाले कार्मिकों की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का भुगतान आगामी 03 वार्षिक किस्तों में किया जायेगा। **2.** वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशन

		भोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पेंशन के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–39 / 2016– सा0–3–923 / दस–2016–308 / 2016 दिनांक 23 दिसम्बर 2016 को परिषद से लागू किये जाने के पूर्व सुविचारित प्रस्ताव दिये जाने हेतु अपर आवास आयुक्त श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जिसमें श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, श्री अनिल कुमार सिंह, संयुक्त आवास आयुक्त, श्री राजीव कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे। उक्त समिति प्रश्नगत शासनादेश एवं परिषद में प्रचलित आदेशों के अनुक्रम में अपना सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
250 / 22	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय	

Ahaly

अनुमोदित

15/07/20

(दीपक कुमार)
अध्यक्ष